झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

कोर्ट-फीस (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2016

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2016

(सभा द्वारा यथापरित)

कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 में संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारंभ:-

1. यह अधिनियम, ‘‘कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2016‘‘ कहा जा सकेगा।
2. इसका प्रसार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
3. यह राज्य गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।
4. दि कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 की धारा-20 को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

यह विधेयक कोर्ट-फीस (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2016 दिनांक 29 जुलाई, 2016 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 29 जुलाई, 2016 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 56--50--10-8-2016